राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांकः प. 13(51)का0/क–1/गो.प्र./17   जयपुर, दिनांक 12 JUL 2017

समस्त अधिकारीगण,
राजस्थान प्रशासनिक सेवा,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने वर्ष 2017–18 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा 2017–18 (पैरा–276) के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017–18 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन भरा जावेगा।

इस कार्य हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण अपने SSO-ID के द्वारा लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR MODULE में स्वंय के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुक्रम चैनल अनुसार (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी) नियत (Fixed) करेगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेगे।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी के राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन भरे गये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा ई–साइन के माध्यम से सत्यापित किया जावेगा।

वर्ष 2017–18 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नही किये जावेगे। परन्तु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि राजनेताओं की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफ–लाईन भी भरे जा सकेगें।

अतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2017–18 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक रूप से ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करेंगें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(भास्कर ए. सांवत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3.वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।

2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।

4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।

5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।

6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।

7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

8.सचिव मानवाधिकार आयोग, जयपुर।

9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

10.रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव